

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 819 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 8, शक 1941

---

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 8, 1941)

क्रमांक-12759/वि. स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) जो शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को पुरास्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. /-  
(चन्द्र शेखर गंगराङ्गे)  
प्रमुख सचिव.

**छत्तीसगढ़ विधेयक**  
**(क्रमांक 24 सन् 2019)**

**छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019**

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |  |  |
|--|--|
| संक्षिप्त नाम,<br>विस्तार तथा प्रारंभ.               | 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.<br><br>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.<br><br>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.  |
| द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित)<br>का संशोधन. | 2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित), -<br><br>(1) सरल क्रमांक 3 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में, शब्द “बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़” के स्थान पर, शब्द “बिलासपुर एवं कोरबा” प्रतिस्थापित किया जाये।<br><br>(2) सरल क्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :- |
| परिनियम, अध्यादेश<br>तथा विनियम का<br>क्रि यान्वयन.  | (1) (2) (3) (4)<br><br>“5 शहीद नंदकुमार पटेल रायगढ़ रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा, विश्वविद्यालय, रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.”  |
| 3.   | समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम, जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने के पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रवृत्त हो, वे शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे।  |

## उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के प्रावधानों में, राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधानों का उपबंध करने के प्रयोजन के लिये, संशोधन किया जा रहा है।

उत्तराधि, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार करते हुये, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) में संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,

दिनांक 25 नवम्बर, 2019

उमेश पटेल  
उच्च शिक्षा मंत्री  
(भारसाधक सदस्य)

## वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने की फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित राशि रूपये 1,0000000 का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा।

“संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

## उपाबंध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का सुसंगत उद्धरण :-

द्वितीय अनुसूची  
भाग-दो (पुनरीक्षित)  
[ धारा 4 (सत्रह) देखिए ]

स. क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	जगदलपुर	कांकेर, बस्तर, दंतेवाडा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर	अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
3.	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
4.	हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कंबीरधाम राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2012) की धारा-3 का सुसंगत उद्धरण :-

समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रवृत्त हो, वे शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा।